

प्रेस नोट दिनांक 09.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मान्धाता के उ०नि० अलंकार यादव मय हमराह का० अनी कुमार, का० नवनीत कुमार द्वारा तलाश वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय Addl. District Judge/Fast Track Court, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत NBW, मुकदमा नं० 871/2000, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली सिटी, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त रामअजोर उर्फ नेता पुत्र मेवालाल, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम बबुरहा, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर ग्राम बबुरहा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- रामअजोर उर्फ नेता पुत्र मेवालाल, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम बबुरहा, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अलंकार यादव मय हमराह का० अनी कुमार, का० नवनीत कुमार, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ०नि० ज्ञानचन्द्र तिवारी मय हमराह का राहुल यादव द्वारा तलाश वारण्टी अभियुक्त के दौरान एनबीडब्लू क्रि०केस न० 922/25 अ०सं० 434/24 धारा 303 (2), 317 (2) बीएनएस थाना लालगंज प्रतापगढ़, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त शैलेश वर्मा पुत्र बृजपाल निवासीगण ग्राम असैनापुर थाना लालगंज प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- शैलेश वर्मा पुत्र बृजपाल निवासीगण ग्राम असैनापुर थाना लालगंज प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 ज्ञानचन्द्र तिवारी मय हमराह का राहुल यादव, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी करने के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी करने के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अहलमद कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन को अवमुक्त कराने हेतु दिनांक 14.08.2026 को जाली हस्ताक्षर एवं कूटरचित आदेश तैयार कर थाना संग्रामगढ़ से वाहन अवमुक्त करा लिया गया। उक्त वाहन के संबंध में न तो न्यायालय से कोई अवमुक्त आदेश जारी हुआ था, न ही चालान अथवा मुकदमा संख्या जनरेट हुई थी और न ही अर्थदण्ड जमा किया गया था। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 596/26 धारा 338/336 (3)/337/340 (2)/318 (4)/319 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अंकित तिवारी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था ड्यूटी एवं लंबित विवेचना के दौरान मु0अ0सं0 596/26 धारा 338/336 (3)/337/340 (2)/318 (4)/319 (2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्त 1.मो0 सद्दाम पुत्र मो0 आलाबक्श, निवासी फुलवारी टेउंगा, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ 02. राजेश पाल पुत्र चन्द्रिका पाल, निवासी सिंघनी, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मो0 सद्दाम पुत्र मो0 आलाबक्श, निवासी फुलवारी टेउंगा, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।

2. राजेश पाल पुत्र चन्द्रिका पाल, निवासी सिंघनी, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंकित तिवारी मय हमराह, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशानुसार वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत NBW मु0नं0 4617/23, अ0सं0 571/22, धारा 498A/323/504/506 IPC व डीपी एक्ट, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 09.10.2026 को उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह पुलिस टीम द्वारा ग्राम लौलीपोख्ताखाम, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ से वारण्टी अभियुक्त 1. कल्पना पत्नी राधेश्याम, 2. राधेश्याम पुत्र तुलसीराम तथा 3. तुलसीराम पुत्र रामदुलार, निवासीगण ग्राम लौलीपोख्ताखाम, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

1. कल्पना पत्नी राधेश्याम।
2. राधेश्याम पुत्र तुलसीराम।
3. तुलसीराम पुत्र रामदुलार।

निवासीगण ग्राम लौलीपोख्ताखाम, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 बृजेश कुमार, का0 विपिन कन्नौजिया, म0का0 सुनैना प्रजापति व म0का0 नेहा तिवारी, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त शिव सागर राय उर्फ सागर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह का0 सुधीर कुमार एवं रि0का0 विशाल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, रात्रि गश्त एवं वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान अन्तर्गत धारा 76/115(2)/351(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त शिव सागर राय उर्फ सागर पुत्र शोभनाथ राय, निवासी गायघाट राम-राम चौराहा, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष को दूधनाथ जी के मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- शिव सागर राय उर्फ सागर पुत्र शोभनाथ राय, निवासी गायघाट राम-राम चौराहा, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह का0 सुधीर कुमार एवं रि0का0 विशाल कुमार, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी एवं मुकदमे से संबंधित पूछताछ के दौरान शांति भंग करने पर 02 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत की गई कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

दिनांक 09.10.2026 को व0उ0नि0 नीरज सिंह कुशवाहा मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना महेशगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 247/2026, धारा 115(2)/352/351(3)/324(2)/126(2) बीएनएस से संबंधित प्रकरण की जांच एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर की गई अभद्र टिप्पणी के संबंध में ग्राम उतरार में पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान मोहित यादव पुत्र सुनील कुमार यादव द्वारा पूछताछ में सहयोग न करते हुए उत्तेजित होकर फौजदारी पर आमामाद होने लगा तथा अमृतलाल यादव पुत्र स्व0

इन्दनारायण यादव द्वारा भी मौके पर पहुंचकर उत्तेजित होकर फौजदारी पर आमादा होने एवं वादी मुकदमा से पुनः मारपीट करने की बात कहने पर दोनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके और अधिक उग्र होने पर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत दोनों अभियुक्तों को दिनांक 09.10.2026 को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत पुलिस हिरासत में लिया गया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध चालानी रिपोर्ट तैयार कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-मोहित यादव पुत्र सुनील कुमार यादव, उम्र लगभग 19 वर्ष।

2-अमृतलाल यादव पुत्र स्व० इन्दनारायण यादव, उम्र लगभग 52 वर्ष निवासीगण ग्राम उत्तरार, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

व०उ०नि० नीरज सिंह कुशवाहा मय हमराह का० सुनील कुमार, का० प्रिन्स सेन थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।